न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/300

मांगीलाल आयु 70 वर्ष आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

मूल चन्द आत्मज गोमदा जाति मीणा निवासी काबुल कायममुकमान :–

1. धनराज आत्मज मूलचन्द जाति मीणा निवासी काबुल ।
2. काली बाई बेवा मूलचन्द जाति मीणा निवासी काबुल ।
3. चन्द्र बाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
4. धापू बाई पुत्री मूलचन्द जाति मीणा निवासी काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. पन्ना लाल आत्मज बरधा जाति मीणा निवासी काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 5/1. बृह्मानन्द आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
   - 5/2. सुरेश आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
   - 5/3. नरेश आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
   - 5/4. मनभर पत्नी पन्ना लाल जाति मीणा निवासी काबुल ।
6. आवंटन परामर्शदात्री सलाहकार समिति जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट मृतक मूलचन्द एवं पन्ना लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम एवं मध्य सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भू–आवंटन नियम, 1968 के तहत प्रस्तुत कर

कथन किया कि ग्राम काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 495 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.12.1968 को अप्रार्थी क्रम 01 के नाम आवंटन किया गया था लेकिन आवंटी द्वारा उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं की और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आवंटन करने से पूर्व मौके का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है और न ही उक्त खसरा नम्बर आवंटन की उद्षोषणा में था । आवंटी ने आवंटन के समय अपने पास मौजूद पूर्व की भूमि का कोई जिक्र आवंटन आवेदन पत्र में नहीं किया है और आवंटी ने अपने पास पहले से भूमि होने के बावजूद व भूमिहीन नहीं होने के बावजूद, तथ्य छिपाकर आवंटन कराया है जो निरस्तनीय है । वक्त आवंटन, आवंटन परामर्शदात्री समिति का पूर्ण कोरम नहीं था । आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर 02 वर्ष के भीतर–भीतर सम्पूर्ण भूमि पर काश्त नहीं की गई है इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं । आवंटित की गई भूमि नहरी द्वितीय कमाण्ड की है जिसके आवंटन को निरस्त करने का अधिकारी अन्तर्गत नियम 17 ए राजस्थान उपनिवेान अधिनियम एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भू–आवंटन नियम 1968 के तहत श्रीमान को प्राप्त है ।

3. अतः अप्रर्थी मांगीलाल के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 31.05.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 04.12.1968 से आवंटित आराजी में से 01 बीघा भूमि को छोडते हुए शेष भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर कब्जे राज लिये जाने के आदेश पारित किये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी क्रम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2017 को निर्णय पारित किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी जिसने स्वयं अदालत में आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है उसकी मृत्यु निर्णय से पूर्व ही हो चुकी थी । ऐसी स्थिति में कायममुकामान बनाये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश करन कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। लोक अदालत का नोटिस जारी होने पर अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित हुआ और प्रार्थी मूलचन्द का देहान्त हो जाने से उनकी ओर से कायमुकामान इत्यादि कोई पेश नहीं हुए

हैं और अपीलान्ट से यही कहा गया कि अभी तो मूलचन्द मर जाने से कायममुकामान का प्रार्थना पत्र पेश होकर कायममुकामान बनाये जाएगें । आप अपना जवाब, साक्ष्य आदि न्यायालय में पेश कर देना और राजीनामा नहीं होने से लोक अदालत में निर्णय पारित नहीं होगा इसके उपरान्त प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में निरन्तर तलाश करता रहा परन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा बताने पर दिनांक 22.03.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 07.05.2018 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके ग्राम काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है । यह आराजी अपीलान्ट को दिनांक 04.12.1968 को आवंटित हुई थी जिस पर अपीलान्ट का कब्जा है । रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया था । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया है । दिनांक 31.05.2017 को निर्णय पारित किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी की इससे पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है । कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । मौके रिपोर्ट अवैध है अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है । बारिस नहीं के कारण आराजी पडत रहीं है । न तो पक्षकारान लोक अदालत में उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा हुआ है । दिनांक 02.02.2017 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी कम 01 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । दिनांक 21.04.2017 की आदेशिका के अनुसार एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और दिनांक 26. 05.2017 की तारीख दी गई है । इससे पूर्व ही दिनांक 04.05.2017 को पत्रावली में दिनांक 31. 05.2017 लोक अदालत की तारीख नियत की गई है । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । अपीलान्ट के उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर कराये गये हैं कोई राजीनामा नहीं हुआ है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । लोक अदालत में अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 31.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया था उसके जवाब में लम्बित थी इसमें दिनांक 26.05.2017 की तारीख दी गई थी इससे पूर्व ही दिनांक 04.05.2017 को पत्रावली लोक अदालत के लिए दिनांक 31.05.2017 को नियत की गई । दिनांक 31.05.2017 को अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही न तो निरस्त की गई और न ही उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया है और न ही समस्त पक्षकारान इस तिथि को उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है ।

11. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने लिमिटेशन के बाबत् आपत्ति की है । अपीलान्ट ने धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके साथ शपथ पत्र भी पेश किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीपीसी की पालना किये बिना जो निर्णय पारित किया है वो अवेध है ओर ऐसा निर्णय जो अवैध होता है उसमें लिमिटेशन का प्रश्न गौण हो जाता है । अतः धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण का विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा